

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटैक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)

(ccoo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:- 3000

दिनांक:- 28/09/22

ई-निविदा सूचना

U. B. No. DLB2223WSOB17005

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से सफाई कार्य एवं नगर निगम के अन्य कार्य हेतु दो वर्ष के लिए कैंचीयुक्त बैक हो लोडर, फ्रंट एण्ड लोडर मय चालक/ऑपरेटर, रखरखाव POL सहित उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु 2 वर्ष के लिए किराये पर लेने हेतु अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें www.eproc.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।


आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 2 अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 3 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 4 अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 5 सहायक अभियंता (यांत्रिक) नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- 6 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 7 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs, www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
- 8 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- 9 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 10 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।


आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)

(ccoo.nmjd@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक: 3000

दिनांक- 28/09/22

ई-निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुमती एवं योग्य फर्मों/सर्वेदकों से निधारित प्रपत्र में ई-प्रोक्चुरमेंट प्रक्रिया से निम्न कार्य हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	29/09/22	4.00 Pm.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	30/09/22	11.00 Am
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	19/10/22	3.00 Pm.
निविदा शुल्क/घरोहर राशि/ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क के डी.डी./बैंकर्स बैंक की मूल प्रति गैर्रेज प्रभासी रूम न : 111 नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	19/10/2022	3.30 Pm.
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	19/10/2022	4.00 Pm.

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में)	घरोहर राशि (रुपये में)	निविदा शुल्क (रुपये में)	प्रक्रिया शुल्क	कार्य की अवधि
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से सफाई कार्य एवं नगर निगम के अन्य कार्यों हेतु दो वर्ष के लिए कैवीयुक्त बैंक हो लोडर, फण्ट एण्ड लोडर मय चालक/ऑपरेटर, रखरखाव, POL सहित उपलब्ध करवाने का कार्य।	400.00 लाख	4.00 लाख	2000/-	1000/-	दो वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करानी होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	2000/-	डिमाण्ड ड्रॉपट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	4.00 लाख	डिमाण्ड ड्रॉपट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई-टेंडरिंग प्रकिया शुल्क	1000/-	डिमाण्ड ड्रॉपट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत्त दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना, सेवानिवृत्ति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवाएँ लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।


 आयुक्त
 नगर निगम जोधपुर दक्षिण



कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर)
(ceo.nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

दिनांक:-

क्रमांक:-

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से सफाई कार्य एवं नगर निगम के अन्य कार्यों हेतु दो वर्ष के लिए कैचीयुक्त बैक हो लोडर, फण्ट एण्ड लोडर मय चालक/ऑपरेटर, रखरखाव, POL सहित उपलब्ध करवाने का कार्य।

1 कार्य की परिभाषा :-

- 1 नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कचरा, मलबा भरने/विशेष अतिक्रमण अभियान/नाला सफाई/मानसून व आपातकालीन स्थिति में कार्य हेतु एवं बैक हो लोडर से सम्बंधित नगर निगम के अन्य कार्यों हेतु दो वर्षों के लिए बैक हो लोडर किराये पर उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।
- 2 उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यकतानुसार एवं मांग अनुसार 10 कैचीयुक्त बैक हो लोडर, फण्ट एण्ड लोडर तकनीकी विवरण अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे। मांग अनुसार बैक हो लोडर की संख्या बढ़ाई/कम की जा सकती है।

2 निविदा प्रस्तुत करना :-

- 1 निविदा द्वि-स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित कीं गयी है जिसमें प्रथम तकनिक बिड होगी जिसमें तकनीकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनीकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर निर्धारित प्रारूप (BOQ) में ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
- 2 पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :-

“आयुक्त”

जोधपुर नगर निगम दक्षिण, जोधपुर

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैंक्स, ई-मेल, फोन नम्बर अंकित करें):-

.....
.....
.....

3 संवेदक की पात्रता एवं तकनीकी निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किये जावेंगे :-

- 3.1 निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर चेक की स्केन प्रति।
- 3.2 निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।

- 3.3 फर्म का गत 3 वर्षों में औसत टर्न ओवर 70.00 लाख रुपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षों की सी.ए. द्वारा अंकित वेलेन्स सीट की स्कैन प्रति।
- 3.4 संवेदक/फर्म के स्वयं के नाम कम से कम 4 बैकहो लौडर का पंजीकृत स्वामित्व तथा आवश्यकता होने पर मांग अनुसार अन्य सभी मशीनों को उपलब्ध करवाने का घोषणा पत्र (परिशिष्ट 'ब') प्रस्तुत करना होगा। संवेदक/फर्म के स्वयं के नाम पंजीकृत मशीनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। सभी वाहन/मशीन 2015 मॉडल या उसके बाद के होने चाहिए। मशीन/वाहन इससे पूर्व के मॉडल स्वीकार योग्य नहीं है।
- 3.5 किसी भी तरह का Joint Venture या फर्म के एक से अधिक पार्टनर होने पर अनुबंध एवं निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने के लिये दी गई पॉवर ऑफ एटोर्नी जमा करवाना होगा तथा
- (क) संवेदकों एवं फर्मों/व्यक्तियों के पंजीकृत अनुबंध की सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिये।
- (ख) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकार पत्र, सभी पार्टनरस का हस्ताक्षर किया हुआ, प्रस्तुत करेगा।
- (ग) जोईन्ट वेन्चर के रूप में प्रत्येक पार्टनर निविदा कार्य को करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे तथा प्रत्येक पार्टनर व्यक्तिगत रूप से भी कार्य के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (घ) सफल संवेदक होने की स्थिति में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने व अन्य कार्य करने के लिए अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ङ) जोईन्ट वेन्चर के अनुबंध में मुख्य व्यक्तियों की जिम्मेदारियों, संसाधनों एवं कार्य के लिये वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी अंकित की जानी चाहिए।
- 3.6 निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम दक्षिण में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम दक्षिण में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र रुपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैर्रेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
- 3.7 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्कैन प्रति।
- 3.8 संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्कैन प्रति।
- 3.9 निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्कैन प्रति।

नोट :- उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 9 तक निर्धारित मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। इनके अभाव में निविदा दाता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

4. सामान्य शर्तें :-

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चेक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा शुल्क व ई-प्रक्रिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।

3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे संबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
5. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम-शर्तों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि के लिए स्थिर (फिक्स) रहेगी जो कि किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नहीं होगी। प्रस्तुत दरें सभी करों सहित होंगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहृत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण पर संशय होने पर निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण कक्ष 111 में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों में सभी टैक्स सम्मिलित होंगे। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. संविदा की अवधि दो वर्षों की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढ़ाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियों होने पर किसी भी समय नगर निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
10. नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।
11. नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात् सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिवस में पूर्ण करनी होंगी :-
 - (क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।
 - (ख) निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर राशि 1,000,000/- प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैंक गारंटी/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर.
"Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।
 - (ग) नगर निगम बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
 - (घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
 - (ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
12. सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।
13. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबन्ध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो जोधपुर नगर निगम दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
14. कार्यादेश के 15 दिवस में निविदा शर्तों की पालना करते हुए सफाई कार्य हेतु संसाधनों को लगाते हुए कार्य का संचालन शुरू करना होगा जिनका परीक्षण गैरेज प्रभारी द्वारा किया जायेगा। सभी

- मशीन/वाहन शर्तों अनुसार होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। वाहन निविदा शर्तों, Technical Specification के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 15 सफल निविदादाता की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज सदैव नहीं किया जायेगा। निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि नगर निगम कार्यालय समय में कक्ष 111 से प्राप्त की जा सकेगी।
- 16 केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।
- 17 **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):**— प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा—
 (क) जब निविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।
 (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
 (ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
 (घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 18 निम्न स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
 (1) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तों में किसी तरह का संशोधन करता है।
 (2) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
 (3) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
 (4) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
 (5) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।
- 19 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि—
 (1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।
 (2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
 (3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
- 20 समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए जोधपुर नगर निगम दक्षिण उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्धिपत्र/संशोधन ई— प्रोक्योरमेंट/SPPP पोर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
- 21 नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
- 22 निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 23 सफल निविदादाता द्वारा दो वर्षों की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
- 24 निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा।

- अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 25 निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013, GF&AR तथा वित्त विभाग के सभी नियम यथा परिवर्तन लागू होंगे।
- 26 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।
- 27 किसी भी विवाद में आयुक्त/महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

5. वाहन व वाहन चालकों के सम्बंध में निविदादाता को निर्देश

1. वाहन चालक अनुभवी एवं सम्बन्धित श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी होना चाहिये।
2. आवश्यक होने पर अवकाश के दिन भी वाहन को कार्य हेतु बुलाया जा सकता है जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकेगा।
3. वाहन की दैनिक लोगबुक वाहन के साथ रखी जायेगी जिसमें वाहन को उपयोग में लेने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का प्रमाणीकरण किया जायेगा।
4. प्रत्येक वाहन चालक वर्दी धारण करेगा जिसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
5. ड्युटी पर तैनात कोई भी वाहन चालक किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं, बाल श्रमिक कार्य पर नहीं लिया जावेगा। संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होंगे। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा रु 500/- प्रति वाहन चालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काट ली जायेगी। वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए एवं आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार वाहन चालक को बदलना होगा।
6. वाहनों के लिए ईंधन (डिजल/ऑयल) एवं मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
7. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन/वाहन चालक से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह के चालान के लिये संवेदक/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।
8. चालक वाहनों के संचालन हेतु दक्ष एवं प्रशिक्षित तथा उपयुक्त श्रेणी का वैध लाइसेन्सधारी होना आवश्यक है। किसी भी तरह की शासकीय या आर्थिक हानि के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
9. कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने आदि पर सभी प्रकार का उत्तरदायित्व (वित्तीय एवं विधिक) संवेदक का होगा। नगर निगम किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 15 तारीख तक भुगतान हेतु गैरेज प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 15 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ती काटी जावेगी।
11. त्यौहार/उत्सव, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में कभी भी वाहन को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की महामारी COVID एवं मृत मवेशी में रोग होने पर मृत मवेशी उठाने हेतु वाहन को भेजना होगा अन्यथा 5000/- शास्ती प्रतिदिन काटी जायेगी।
12. वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. एवं अन्य भत्ते निगम की ओर से देय नहीं होंगे।

10. सभी वाहन व रजिस्ट्रेशन, इन्शोरन्स, मशीन/वाहन आलोक, वा लाइसेन्स आदि के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता वा आलोक आदि वा उपयुक्त रीम/इन्शोरन्स कराना तथा सब कम नियम एंड मॉडिफाई नियम की पूर्ण पालना करने होगा।
सफल निविदादाता वा बाई प्रोग्राम करने से पूर्व मशीन/वाहन वा रीम रजिस्ट्रेशन मशीन/वाहन आलोक वा लाइसेन्स व मशीन/वाहन से सम्बंधित सभी दस्तावेज की प्रतियां सैरज प्रमारी कार्यालय में प्रस्तुत करने होगी।

11. मशीन/वाहन और मशीन/वाहन आलोक का विवरण:-

उ निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यालय जारी होने के बाद लखन कार्ड प्रोग्राम करने से पूर्व सैरज कार्ड में सैरज प्रमारी वा प्रस्तुत करने होगी।

क्र.सं.	मशीन/वाहन आलोक का नाम व प्रता	वाहन चलाने का द्वाइविंग लाइसेन्स नम्बर	लाइसेन्स की वैधता दिनांक
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

वाहन की उपलब्धता सम्बंधी विवरण निम्न प्रारूप में देना होगा।

12. उपलब्ध वाहनों का विवरण:-

क्र.सं.	मशीन/वाहन संक्र.	हॉर्स पावर (BHP)	पंजीकृत वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन मॉडल वर्ष	वाहन मालिक का नाम
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

15. संवेदक द्वारा वाहन चालकों/कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावेंगे तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होंगे। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान वाहन चालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
16. सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नगर निगम अधिकारियों को सभी वाहनों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा। भौतिक सत्यापन कराये बगैर एवं बिना निरीक्षण वाहन कार्य पर लगाने पर किराया देय नहीं होगा।

6. तकनीकी विवरण :-

S.No	Capacity of Engine (HP)	Excavator Bucket/ Backhoe Bucket Capacity (Cum)	Loader Capacity (Cum)	No. of Machines
1	76-92 HP	0.30 Cum and as per demand	1.0 Cum	Min. 10 & Max. as per requirement
2	50 HP	0.15-0.20 Cum and as per demand	0.50-0.60 Cum	Min. 3 and max. as per requirement

- फ्रन्ट सोवल/बकैट 6-in-1 bucket होनी आवश्यक है।
- उक्त समस्त वाहन तकनीकी रूप से अच्छी कण्डीशन/उपयोग अवस्था में होने चाहिए जिनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में निगम अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। प्रदूषण मुक्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सभी वाहनों पर GPS लगा होना आवश्यक है। जिसकी रिपोर्ट अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- वाहनों के सभी स्पेयर पार्ट्स, उपसाधन, बैटरियाँ, डीजल, ऑयल, ल्यूब्रिकेन्ट्स, पार्ट्स मरम्मत, चालक एवं मशीनों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होंगे।
- यातायात के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।
- उपलब्ध करवाये गये वाहन तकनीकी स्तर पर आधारभूत शर्तों से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनीकी रूप से आधारभूत शर्तों अनुसार ही माना जायेगा।

7. कार्य विधि :-

- सामान्यतया बैक हो लोडर से सफाई कार्य एवं अन्य कार्यों का संचालन नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र (सभी जोनों) में 12 घण्टे (प्रातः 7 बजे से सांय 7 बजे) के कुल समय में आवश्यकतानुसार 8 घण्टे की कुल कार्य अवधि के लिए किया जायेगा। आपातकाल/आवश्यकतानुसार वाहन किसी भी समय जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र में किसी भी जोन में जोन के मुख्य सफाई निरीक्षक को उपलब्ध करवाने होंगे। साथ ही मशीनों/वाहनों का रात्रि में एवं राजकीय अवकाश में भी उपयोग किया जा सकेगा।
- सफाई कार्य एवं अन्य कार्यों का निर्धारण नगर निगम के अधिकृत अधिकारी करेंगे उसी अनुसार कार्य करना होगा।
- सभी मशीनों/वाहनों पर GPS लगा होना आवश्यक है।
- वाहनों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।

5. मशीनों/वाहनों पर नगर निगम जोधपुर दक्षिण से अनुबंधित तथा स्वच्छ भारत मिशन की पट्टी/प्लेट लगानी होगी। प्लेट का दुरुपयोग होने पर रुपये 500/- प्रतिवाहन प्रतिदिन शास्ती काटी जायेगी।

8. कार्य प्रमाणन एवं भुगतान:-

1. बैक हो लोडर के कार्यस्थल पर पहुँचने के पश्चात् उपयोग में लेने वाले अधिकारी से लोगबुक में प्रमाणित करवाना होगा।
2. निविदादाता लोग बुक को भरे जाने एवं उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रमाणित हस्ताक्षर मय सील कराये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।
3. प्रत्येक माह का बिल लोग बुक में उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण उपरान्त GPS रिपोर्ट के साथ गैरराज प्रभारी को आगामी 5 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
4. वाहन पर जी.पी.एस लगा होना आवश्यक है तथा बिलों का भुगतान GPS रिपोर्ट के आधार पर एवं लोग बुक में उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण उपरान्त पर किया जायेगा।
5. GPS रिपोर्ट अनुसार बैक हो लोडर का एक दिन में 8 घण्टों का ही भुगतान किया जायेगा। आवश्यक होने पर बैक हो लोडर जोन के मुख्य सफाई निरीक्षक के मांग अनुसार एक दिन में आठ घण्टे से जितने घण्टे अधिक कार्य करेगा, GPS रिपोर्ट व लोगबुक प्रमाणीकरण के अनुसार उन अतिरिक्त घण्टों का भुगतान अनुपातिक रूप से किया जायेगा। प्रतिदिन 8 घण्टे से कम कार्य करने पर अनुपातिक कटौती/भुगतान किया जायेगा।
6. कार्य के दौरान मशीन खराब होने एवं रिपेयर में होने की स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
7. संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान (अगर लागू हो) की राशि सम्बंधित विभाग में जमा कराने का प्रमाण पत्र एवं बैंक चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. दुर्घटना

1. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि एवं वाहन दुर्घटना या चोरी होने की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसान के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
2. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण मशीन से सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर मशीन से हुई टूट फूट के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा नुकसान की भरपाई संवेदक को करनी होगी।
3. दुर्घटना में मशीन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह का टूट-फूट होने पर संवेदक को दुसरी मशीन उपलब्ध करवानी होगी।

10. निगम शक्तियाँ एवं शास्तियाँ :-

1. मांग अनुसार आदेशित संख्या से कम संख्या में मशीनें उपलब्ध करवाने पर प्रतिदिन प्रतिमशीन किराये की राशि की 50% राशि शास्ती के रूप में काटी जायेगी। कम संख्या में मशीनें उपलब्ध करवाने पर संवेदक की रिस्क व कोस्ट पर नगर निगम बाजार से मशीन लेने हेतु स्वतंत्र है। इस स्थिति में अन्तर राशि संवेदक से वसूल की जायेगी। एवं उस दिन का किराया देय नहीं होगा।
2. संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 15 तारीख तक भुगतान हेतु गैरराज प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 15 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत बिल राशि का 1% एवं उसके पश्चात् बिल प्रस्तुती पर प्रस्तुत बिल राशि का 2% काटा जायेगा।

3. अगले महीने की लोग बुक 25-31 तारीख तक गैरेज प्रमारी से हस्ताक्षर करवाकर जारी करवानी होगी।
4. कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम अधिकारी किसी भी समय वाहनों/मशीनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
5. आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति से बैक हो लोडर नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र से बाहर भी भिजवाया जायेगा। पालना नहीं होने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा रुपये 2000/- प्रति मशीन प्रति घटना की शास्ती लगाई जायेगी।
6. निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तें यथा परिवर्तन लागू होगी।
7. आवश्यकता होने पर मशीनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मशीनों की संख्या में/निगम क्षेत्र में बिना कारण बताये कमी करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा।
8. किसी भी शर्त की पालना नहीं होने पर निविदा शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।
9. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।
10. किसी भी विवाद में आयुक्त/महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

11. निविदा प्रपत्र में संशोधन :-

1. नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
2. संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।


आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर निविदा प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर



कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर)
(ceo.nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

वित्तीय प्रस्ताव

कार्य का नाम:— नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से सफाई कार्य एवं नगर निगम के अन्य कार्यों हेतु दो वर्ष के लिए कैंचीयुक्त बैक हो लोडर, फण्ट एण्ड लोडर मय चालक/ऑपरेटर, रखरखाव, POL सहित उपलब्ध करवाने का कार्य।

क.स.	कार्य का प्रकार	दर (सभी करों सहित)
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से सफाई कार्य एवं नगर निगम के अन्य कार्यों हेतु दो वर्ष के लिए कैंचीयुक्त बैक हो लोडर, बगैर कैंची युक्त फण्ट एण्ड लोडर मय चालक/ऑपरेटर, रखरखाव, POL सहित उपलब्ध करवाने का कार्य।	<u>कैंची युक्त बैक हो लोडर (76-92 HP)</u>
		(1) Working Rateरुपये प्रति मशीन प्रतिदिन 8 घण्टे
		(2) Idle Rateरुपये प्रति मशीन प्रति घण्टे
		<u>फण्ट एण्ड बैक हो लोडर (50 HP)</u>
2	कुल योग (1 से 4 तक का)	(3) Working Rateरुपये प्रति मशीन प्रतिदिन 8 घण्टे
		(4) Idle Rate.....रुपये प्रति मशीन प्रति घण्टे

1. उपरोक्त कार्य करने हेतू कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी।

निविदादाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

—:: अण्डर-टेकिंग ::—

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारीयां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्क्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमने (1) अपनी निविदा दर की वैधता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरे स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेंगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि स्वयं के नाम पंजीकृत कैचीयुक्त बैंक हो लोडर के अतिरिक्त ओर कार्य की आवश्यकता होने पर कैचीयुक्त बैंक हो लोडर की मांग होने पर अन्य व्यक्ति/फर्म से कैचीयुक्त बैंक हो लोडर किराये पर लेकर उपलब्ध करा देंगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्क्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक :

निविदादाता का नाम व
हस्ताक्षर गय सील

Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to [Enter designation and address of the procuring entity] for procurement of [Insert name of the Works] in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:





राजस्थान राजपत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

पौष २२, बुधवार, शके १९४३-जनवरी १२, २०२२

Pousa 22, Wednesday, Saka 1943- January 12, 2022

भाग ४ (ग)

उप-खण्ड (१)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-पाधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 12, 2022

G.S.R.398 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 75.- In rule 75 of the said rules,-

- (i) in proviso to sub-rule (2), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted; and
- (ii) in proviso to clause (f) of sub-rule (3), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted.

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]

By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017

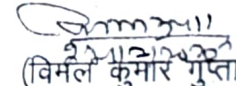
जयपुर, दिनांक : 23.12.2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी - एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

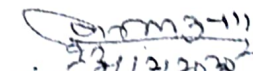
चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं ।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें ।
16. रक्षित पत्रावली ।


23/12/2020
संयुक्त शासन सचिव

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :-----

Name :-----

In the capacity of :-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal -----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

